

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र या10प0 ककोड
 (श्री सुभाष चन्द शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यापित)
 दावा संख्या :- 41/2015
 निर्णय दिनांक:- 17.6.2016

उपवाग
 मु0 उम्मेद केवर पत्नी स्व0 अमरसिंह जाति चारण निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक
 - वादी

बनाम
 1. छुट्टन पुत्र सुल्तान जाति मुसलमान निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक
 2. तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकारामा आराजीयात

उपस्थित:-1. श्री के0एल0 डाडा वकील वादी
 2. श्री एम0एल0 खान वकील प्रतिवादी न0 1

निर्णय

प्रकरण मे नायबत तहसीलदार बनेटा द्वारा कूर्रजात रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। वादी व प्रतिवादी वकील को कूर्रजात रिपोर्ट का अवलोकन कराया गया। वादी व प्रतिवादी वकील प्रेषित कूर्रजात रिपोर्ट से सहमत है। अतः वादग्रस्त आराजी ख0न0 405 रकबा 3.00 है0 व ख0न0 406 रकबा 0.46 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.46 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा का वादी व प्रतिवादी न0 1 के मध्य राजस्व रेकार्ड व मोके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

मु0 उम्मेद केवर पत्नी स्व0 अमरसिंह जाति चारण निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
ककोड	405/2	1.50	पेटा 2	12.00
	406/2	0.23	गोमु0 पाल	-
योग 2		1.73		12.00

छुट्टन पुत्र सुल्तान जाति मुसलमान निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक

ग्राम का नाम	ख0न0	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
ककोड	405/1	1.50	पेटा 2	12.00
	406/1	0.23	गोमु0 पाल	-
योग 2		1.73		12.00

तहसीलदार उनियारा को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक .17.6.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

श्री सुभाषचन्द शर्मा
 उप खण्ड अधिकारी
 आर0ए0एस0
 उनियारा
 उपखण्ड अधिकारी उनियारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्दाई)

उन्वान
मु० उम्मेद कंवर पत्नी स्व० अमरसिंह जाति चारण निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक
- वादी

वनाम
1. छुट्टन पुत्र सुल्तान जाति मुसलमान निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक
2. तहसीलदार तहसील उनियारा मु० अलीगढ जिला टोंक

दावा बाबत तकासमा आराजीयात

-प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर :- 41 वर्ष 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुभाष चन्द शर्मा आर०ए०एस० व हाजरी श्री के०एल० ठाडा वकील वादी मिनजानिव मुद्दइ श्री एम०एल० खान वकील प्रतिवादी न० 1 पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख०न० 405 रकबा 3.00 है० व ख०न० 406 रकबा 0.46 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.46 है० वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा का वादी व प्रतिवादी न० 1 के मध्य राजस्व रेकार्ड व मोके पर कब्जा काशत अनुसार विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

मु० उम्मेद केवर पत्नी स्व० अमरसिंह जाति चारण निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक


ग्राम का नाम	ख०न०	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
ककोड	405/2	1.50	पेटा 2	12.00
	406/2	0.23	गे०मु० पाल	-
योग 2		1.73		12.00

छुट्टन पुत्र सुल्तान जाति मुसलमान निवासी ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक

ग्राम का नाम	ख०न०	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
ककोड	405/1	1.50	पेटा 2	12.00
	406/1	0.23	गे०मु० पाल	-
योग 2		1.73		12.00

तहसीलदार उनियारा को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते है। फरिक्केन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 06 सन् 2016 को जारी की गई।


 उपखण्ड अधिकारी
 उनियारा जिला टोंक
 उनियारा